संख्या-86/2024/I/750525/2024/71-2005(002)/6/2021

प्रेषक,

कृतिका शर्मा,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,

लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक-23-09-2024

विषयः सिविल मिस रिट पिटीशन संख्या-ए-7416/2022, अभिषेक बाजपेयी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3965/विधि/डा0रा0म0लो0आ0सं0/2024, दिनांक 26.02.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ में योजित सिविल मिस रिट पिटीशन संख्या-ए-7416/2022 अभिषेक बाजपेयी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन के क्रम में निर्गत शासन के पत्र दिनांक 22.02.024 में दिये गये आदेश के अनुपालन हेतु शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-I/152869/2022-71-2005(002)/6/2021, दिनांक 01.04.2022 एवं शासन के पत्र संख्या-I/155203/2023-71-2005(002)/6/2021, दिनांक 11.04.2022 को निरस्त करते हुए शासनादेश संख्या-55/2015/275/71-2-15-आर0एम0-03/2015, दिनांक 15 जून, 2015 द्वारा स्वीकृत वेतनमान लागू रहने के आदेश निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- डा0 राम मनोहर लोहिया, आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के टेक्नीशियन ग्रेड-1 (सीनियर लैब टेक्नीशियन) के पद पर कार्यरत कार्मिकों को वेतन बैण्ड-2 ग्रेड वेतन रू0 4200/- के स्थान पर ग्रेड वेतन रू0 4600/- अनुमन्य किये जाने के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ में योजित सिविल मिस रिट पिटीशन संख्या-ए-7416/2022 अभिषेक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बाजपेयी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी। उक्त रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.11.2022 एवं दिनांक 03.01.2023 को पारित आदेश के अनुपालन हेतु दिनांक 30.12.2022 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञा संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नर की बैठक में प्रकरण के सभी बिन्दुओं पर लिये गये निर्णय का अनुपालन किये जाने हेतु शासन के पत्र संख्या-I/502051/2024-71-2005(002)/6/2021, दिनांक 22.02.2024 द्वारा संस्थान में कार्यरत टेक्नीशियन ग्रेड-1 (सीनियर लैब टेक्नीशियन) के पदो पर कार्यरत कर्मियों को अनुमन्य वेतन बैण्ड-2 एवम् ग्रेड वेतन रू0 4200/- के स्थान पर ग्रेड वेतन रू0 4600/- किये जाने हेतु आदेश निर्गत किया गया।

3- इस क्रम में संस्थान द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-I/152869/2022-71-2005(002)/6/2021, दिनांक 01.04.2022 द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के पैथोलोजी विभाग में कार्यरत सीनियर लैब टेक्नीशियन के ग्रेड वेतन संबंधी शासनादेश संख्या-I/155203/2023-71-2005(002)/6/2021, दिनांक 11.04.2022 को निरस्त करते हुए शासनादेश संख्या-55/2015 /275/71-2-15-आर0एम0-03/2015, दिनांक 15 जून, 2015 को तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाता है।

4- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त के आलोक में प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए सिविल मिस रिट पिटीशन संख्या-ए-7416/2022 अभिषेक बाजपेयी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ के माध्यम से मा0 न्यायालय को अवगत कराते हुए प्रकरण में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कृतिका शर्मा)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in